प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी0एल0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल,
तहसील के सामने, अलीगढ़ रोड, हाथरस।

पत्रांकः अधि0/मान्यता/12713-14 /2020--21 **दिनांकः 08 फरवरी, 2021**

विषयः— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अशासकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थायी मान्यता पत्र/संसूचना।

महोदय,

आपके आवेदन तथा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की स्थलीय—निरीक्षण आख्या/संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति की बैठक, दिनांक 08 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, मैं (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस), बी0एल0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, तहसील के सामने, अलीगढ़ रोड, हाथरस को **दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 5 तक के अशासकीय प्राथमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)** के रूप में औपबन्धिक अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किये जाने के अध्याधीन हैः—

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिऐ कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा एक में उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पेरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

(VII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

13 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

14 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्र, क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई, बाधा रहित पंहुच, अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता समयानुसार व्यवस्थित रखें जायेंगें।

15 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी। विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

16 विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिह्न एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

11 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

12 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा।

13 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

14 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15 आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक 12713-14 है। कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16 बेसिक शिक्षा विभाग के विकास खण्ड/जनपदीय अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

17 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

18 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

19 विद्यालय में अनियमिततायें पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

20 विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार न्यूनतम् स्टाफ उपलब्ध होना चाहिये। स्टाफ का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा।

21 विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।

22 प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

23 विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

24 भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधान समितियां तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

25 विद्यालयो के भवनो तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा सें सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

26 विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिये और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रुप से की जायेगी।

27 अंकित उपबंधों के अनुसार नवीनीकरण/समयानुसार/आवश्यकतानुसार/परीक्षण हेतु।

सम्बन्धित प्रबन्धक/संचालक को उक्तवत् मान्यता इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 तथा शासनादेश संख्या 196/अड़सठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 के क्रम में समस्त औपचारिकता तथा नियम-निर्देशों/शर्तों की पूर्ति मान्यता निर्गत होने के दिनांक से विभाग के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर यदि कोई औपचारिकता अपूर्ण अथवा कोई तथ्य गोपन या छुपाया गया संज्ञान में आता है तो मान्यता निर्गत होने की तिथि से निरस्त मानी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/सम्बन्धित का होगा।

भवदीय

(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस

पृ0सं0 व दिनांक-उपरोक्तवत्।
प्रतिलिपि-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद हाथरस।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी0एल0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल,
तहसील के सामने, हाथरस।

पत्रांकः अधि0/मान्यता/ 13627 /2020–21 दिनांकः 27.02.2021

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के लिए अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थायी मान्यता पत्र/संसूचना।

महोदय,

आपके आवेदन तथा इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/खण्ड शिक्षा अधिकारी की स्थलीय–निरीक्षण आख्या/संस्तुति के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, मैं (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस), बी0एल0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, तहसील के सामने, हाथरस **को दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)** के रूप में औपबन्धिक अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किये जाने के अध्याधीन हैः–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिऐ कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा एक में उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पेरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

(VII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्र, क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई, बाधा रहित पंहुच, अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता समयानुसार व्यवस्थित रखें जायेंगें।

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी। विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

10 विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिह्न एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

11 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

12 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा।

13 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

14 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15 आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक .... है। कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16 बेसिक शिक्षा विभाग के विकास खण्ड/जनपदीय अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

17 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

18 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

19 विद्यालय में अनियमिततायें पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

20 विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार न्यूनतम् स्टाफ उपलब्ध होना चाहिये। स्टाफ का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा अपने निजी स्त्रोत से किया जायेगा।

21 विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।

22 प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

23 विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

24 भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधान समितियां तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

25 विद्यालयो के भवनो तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा सें सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

26 विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिये और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रुप से की जायेगी।

27 अंकित उपबंधों के अनुसार नवीनीकरण/समयानुसार/आवश्यकतानुसार/परीक्षण हेतु।

सम्बन्धित प्रबन्धक/संचालक को उक्तवत् मान्यता इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 तथा शासनादेश संख्या 196/अड़सठ–3–2020–2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 के क्रम में समस्त औपचारिकता तथा नियम–निर्देशों/शर्तों की पूर्ति मान्यता निर्गत होने के दिनांक से विभाग के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर यदि कोई औपचारिकता अपूर्ण अथवा कोई तथ्य गोपन या छुपाया गया संज्ञान में आता है तो मान्यता निर्गत होने की तिथि से निरस्त मानी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/सम्बन्धित का होगा।

भवदीय

(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस

पृ0सं0 व दिनांक–उपरोक्तवत्।
प्रतिलिपि–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद हाथरस।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस